मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)
न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 70/2023 वादपत्र धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1– भोपालसिह दत्तक पुत्र रणसिंह उर्फ रणजीत सिंह राजपूत निवासी कापडियों का खेडा तह. बडीसादडी

—–वादी

बनाम

1– श्रीमति चंदा कुंवर पत्नि रणसिंह उर्फ रणजीत सिंह राजपूत निवासी कापडियों का खेडा तह. बडीसादडी
2– राज सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा कापड़ियो का खेड़ा पटवार सर्कल खरदेवला की आराजी नं. 117, 122, 123 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 हैक्ट. में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का 1/12 हक हिस्सा घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....x... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..x... को दी जावे।
यह आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/168 दिनांक : 29/09/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 70/2023 ई.रे.

1– भोपालसिह दत्तक पुत्र रणसिंह उर्फ रणजीत सिंह राजपूत निवासी कापडियों का खेडा तह. बडीसादडी

––वादी

बनाम

1– श्रीमति चंदा कुंवर पत्नि रणसिंह उर्फ रणजीत सिंह राजपूत निवासी कापडियों का खेडा तह. बडीसादडी

2– राज सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 29/09/2025**

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1. खतोनी संख्या नई 93 की आराजी खंसरा नं. 117 रकबा 0.2300 है लगानी 5.98 रूपया आराजी नं. 122 रकबा 0.5700 हैक्ट. लगान 10.83 रूपया आराजी नं. 123 रकबा 0.2300 हैक्ट. लगान 4.37 रूपया भूमि का कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 हैक्ट. कुल लगानी 21 रूपया 18 पैसा भूमि राजस्व ग्राम कापडियों का खेडा पटवार सर्कल खरदेवला तहसील बडीसादडी में स्थित है उक्त भूमि में प्रतिवादी कमांक श्रीमती चन्दा कुंवर पत्नि रणजीत सिंह जी राजपूत का 1/6 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है।
2. वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को इस वाद पत्र में आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
3. प्रतिवादी संख्या 1 के कोई जायन्दा सन्तान नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गीय पति ने वादी को उसके बाल्यकाल में ही समाज के चलन के मुताबिक गोद लिया था प्रतिवादी ने वादी को अपने समाज की परम्परा एवं रिति रिवाज के चलन में मुताबिक समाज के एवं घर के परिवार के एवं गांव के मौतबिरान के लोगों की मौजुदगी में वादी के प्राकृतिक माता एवं पिता की सहमति से लेहरिया बंधवा कर गुड एवं पतासे बाटकर सभी सामाजिक रिति रिवाज पूरे कर गोद लिया तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 4.1.2022 को प्रतिवादी कमांक 1 ने वादी के पक्ष में गोद नामा रूबरू गवाहान 1,000/–रू. ई स्टाम्प व सफेद कागज पर निष्पादित करवाया गोदनामा का विधिवत पंजीयन प्रतिवादी कमांक 1 ने दिनांक 5.1.2022 को उप पंजीयक कार्यालय निकुम्भ में वादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया । वादी अपनी बाल्यावस्था से प्रतिवादी सं. 1 के पास जायन्दा पुत्र की भांती रह कर वादग्रस्त आराजीयात का उपभोग करता चला आ रहा है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को गोद लेने के पश्चात वे समस्त हक व अधिकार प्रदत्त कर दिये है जो कि एक जायन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

पुत्र प्राकृतिक संख्या 11 से जायन्दा पुत्र की भाती सभी व हक एवं अधिकार प्राप्त है। वादी को गांव व समाज में प्रतिवादी कमांक 1 के पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जाता है तथा वादी अपने पुत्र धर्म का पालन करता चला आ रहा है।

4. वादग्रस्त आराजीयात से वादी गोद जाने के बाद से अपने बाल्याकाल से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जायन्दा पुत्र की भंाती रह कर इसके साथ शामलाती रूप से काश्त करता चला आ रहा है। एवं वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहा है वादी का वाद पत्र की कलम संख्या 1 की आराजीयात में 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी कमांक 1 का 1/12 हक हिस्सा निहित होकर इस आश्य से घोषणा कराने का अधिकारी वादी है। वादग्रस्त आराजीयात में से रजिस्टर्ड गोद नामे के आधार पर 1/12 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादी के नाम पर किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है।

5. वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के बिच अभी तक विधिवत रूप से बटवाडा नही हुआ वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हक हिस्सा है वादी इसी अनुसार घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने का कानूनन अधिकारी हैं।

6. वादग्रस्त आराजीयात में से 1/6 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी कमांक 1 के नाम पर दर्ज है जबकि प्रतिवादी कमांक 1 वादी की दत्तक माता है जिसका भरण पोषण देख भाल वादी ही करता चला आ रहा है प्रतिवादी कमांक 1 ने वादी को हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दत्तक लेकर सम्पूर्ण अधिकार वादी को दिये जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में से 1/12 हक हिस्सा अपने नाम एवं 1/12 हिस्सा प्रतिवादी कमांक 1 के नाम पर खातेदारी घोषित कराने का कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

7. वादग्रस्त आराजीयात पर वादी प्रतिवादी कमांक 1 के साथ अपने आधे अर्थात 1/2 हिस्से पर बहैसीयत काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा आराजीयात प्रतिवादी किसी अन्य को विकय कर सकते है इसलिये वादी द्वारा यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

8. प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तानान्तरण कर वादी को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर सकते है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के हिस्से विशिष्ट भू भाग का किसी प्रकार से हस्तानान्तरण नही करे ना करावे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अतः वादी का निवेदन है कि वादी का वाद बहक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्नानुसार डिकी फरमाया जावे।

(क) वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी कमांक 1 का 1/12 हक हिस्सा घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से हिस्सा विशिष्ट भू भाग का हस्तानान्तरण नही करे ना करावे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे [illegible] हक हिस्से एवं मौके कब्जे काश्त आराजीयात में जबरन रखल अंदाजी नही करे ना [illegible] व त[illegible] वादी को अपने काब्जे काश्त की आराजी पर यथावत काबिज रहने देवे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण बा[illegible] सुचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

भोपालसिंह, गवाह कैलाशसिह, लालसिंह के शपथ पत्र पेश हुये। बयान शपथ पत्र पर लेखबद्ध किये गये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कापड़ियो का खेड़ा पटवार सर्कल खरदेवला की आराजी नं. 117, 122, 123 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 हैक्ट. में वादी का 1/12 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का 1/12 हक हिस्सा घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। धारा 188 की दाद वकील वादी द्वारा साबित नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:26 IST
Reason: SelfAttested